न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 15 / 2023
स्टेट जरिये जिला रसद अधिकारी अधिकारी हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम

अमरजीत सिंह पुत्र बद्रीप्रसाद निवारी वार्ड नं. 36 गली नं. 05, तहसील एवं जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थितः—1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि0।
2 अप्रार्थी अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—29.01.2025

राजस्थान राज्य जरिये जिला अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.05.2023 को जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ़ मय कार्यालय स्टाफ हनुमानगढ़ जंक्शन—टाउन रोड़ स्थित कृष्णा मार्केट में ग्रीन मारूति गैरेज जिसे दिनांक 15.05.2023 को वाहनो में घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग एवं कालाबारजारी की सूचना पर सीज किया गया था के सम्बध में आगामी कार्यवाही हेतु उपस्थित हुए। मौके पर दुकान मालिक श्री अमरजीत व अन्य गवाहो की उपस्थिति में दुकान खोलकर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान दुकान में 1 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप एवं रेगुलेटर (गैस रिफिलिंग करने हेतु तैयार की हुई) रखे पाये गये। श्री अमरजीत सिंह पुत्र श्री बद्रीप्रसाद द्वारा दुकान पर वाहनों में LPG गैस रिफिलिंग करना स्वीकर किया एवं LPG भण्डारण एवं रिफिलिंग हेतु सक्षम स्वीकृती अथवा लाईसेंस नहीं होना बताया। मौके पर श्री अमरजीत सिंह पुत्र बद्रीप्रसाद द्वारा अनाधिकृत रूप से पाये गये 1 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप एवं रेगुलेटर से दुकान में LPG घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग एवं कालाबाजारी का होना स्पष्ट करना है जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश 2000 के क्लॉज 4(1)(क) एवं 7(1)(क) का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। चुंकि मौके पर अमरजीत सिंह पुत्र बद्रीप्रसाद द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश 2000 के क्लॉज 4(1)(क) एवं 7(1)(क) का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया है अतः मौके पर पाया गया समस्त सामान 1 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप एवं रेगुलेटर को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। जब्त की गई उक्त सामग्री श्री सौरव छाबड़ा पुत्र श्री ओमप्रकाश छाबड़ा हाल सैल्स मैनेजर बालाजी गैस एजेंसी हनुमानगढ़ की सुपुर्दगी में दिया गया । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त जब्तशुदा 1 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप एवं रेगुलेटर को राजसात करने के आदेश फरमावें।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

ID-2024/159

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6वी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया।

पत्रावली दर्ज होने को लगभग 1 वर्ष 7 माह हो चुके है। अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 17.12.2024 को नोटिस जारी हो चुके है, परन्तु दिनांक 24.01.2025 को अप्रार्थी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज की गयी।

राजकीय अभिभाषक ने एकपक्षीय बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा मौके पर पाये गये 1 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप एवं रेगुलेटर जब्त किया गया है। घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश 2000 के क्लॉज 4(1)(क) एवं 7(1)(क) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। उक्त 1 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप एवं रेगुलेटर को राजसात करने के आदेश फरमावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि:—

1. स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्ती के समय मौके पर 1 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप एवं रेगुलेटर जब्त किया गया है। घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है।
2. अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण मौके पर अप्रार्थी के पास वैद्य दस्तावेज नहीं होना तथा वाणिज्यिक परिसर से दौराने घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश 2000 के क्लॉज 4(1)(क) एवं 7(1)(क) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। जिसके लिए अप्रार्थी अवैध भण्डारण व कारोबार का दोषी है।

अतः जब्तशुदा इण्डेन कम्पनी के 1 घरेलू गैस सिलेण्डर (गैस की मात्रा 2 किग्रा), 1 इलेक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप एवं रेगुलेटर को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदीलाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ
अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़